

कार्यालय अति० महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:- क-1(20)सीडीपीएसएम/तरणताल रखरखाव/ 2019-20/43-50 दिनांक 21.5.2020

### खुली निविदा सूचना

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर परिसर में स्थित तरणताल में ग्लास मोजेक टाईल्स मरम्मत का कार्य कराने हेतु मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा [www.sppp.raj.nic.in](http://www.sppp.raj.nic.in) एवं [www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in) पर भी देखी जा सकती है।

क्र.सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि लाख रुपये में	बयाना राशि	निविदा फार्म मूल्य
1	तरणताल में ग्लास मोजेक टाईल्स मरम्मत का कार्य	3,15,000/-	6,300/-	200/- रू०

#### निविदा शर्तें-

1. तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी।
2. बयाना राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी जिन्हें आवेदन करके इस कार्यालय से उपरोक्तानुसार रूपयों का नगद भुगतान कराने पर प्राप्त किया जा सकेगा। इसी राशि का प्रतिदाय (रिफण्ड) नहीं किया जायेगा।
4. निविदाये मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 05.06.2020 को अपराह्न 1 बजे तक या इसके पूर्व प्राप्त हो जानी चाहिये। प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 3:30 बजे क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
5. सरकार न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी निविदा को या किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकेगी।
6. निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, बिक्री कर प्रमाण पत्र, बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।
7. जो भी निविदाएं विहित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी अथवा विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होगी उन्हें रद्द कर दिया जायेगा।
8. बिड में अंकित दरें सभी प्रकार के प्रचलित करों सहित होनी चाहिये। पृथक से कोई प्रभार देय नहीं है।
9. निविदा शर्तें जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी।
10. निविदा शर्त स्टोर क्रय नियम खुली निविदाओं हेतु जारी वित्तीय लेखा नियम शर्त 1 से 46 तक लागू होंगे।

( हेमन्त प्रियदर्शी )

अति० महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक,  
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
2. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
3. लेखाधिकारी/प्रोग्रामर राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा [sppp](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पोर्टल ([www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in)) एवं [www.rpa.rajasthan.gov.in](http://www.rpa.rajasthan.gov.in) वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी स्टोर/कैशियर/नोटिस बोर्ड राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

अति. महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक  
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

कार्यालय अति० महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांक:- क-1(20)सीडीपीएसएम/तरणताल रखरखाव/ 2019-20/

दिनांक:-

निविदा प्रारूप

(देखिए नियम 68)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 05.06.2020 समय 01.00 बजे  
निविदा खोलने की अन्तिम तिथि 05.06.2020 सांय: 03.30 बजे ।

1. राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर स्थित तरणताल में ग्लास मोजेक टाईल्स मरम्मत का कार्य निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ..... डाक का स्थाई पता,.....  
..... ई-मेल ..... एवं  
मोबाईल नं० ..... बोलीदाता का :- पैन नं. .... टिन नं. ....  
.....जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. ....
3. किसको सम्बोधित की गयी-निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. सन्दर्भ :-
5. निविदा शुल्क की राशि रु 200/- बैकर चैक/बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट सं. .... दिनांक ..... के द्वारा जमा करा दी गई है।
6. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्या.....दिनांक..  
.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. निविदाएं तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिड के साथ उपर्युक्त तालिका में अंकित तरणताल मरम्मत कार्य स्पेशीफिकेशन के अनुसार एवं बयाना राशि जमा करानी होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
8. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
9. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सं .....दिनांक.....द्वारा राशि रूपये 6,300/-बयाना राशि के पेटे जमा करवाई गई।
10. इसके साथ जी.एस.टी./बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर चुकती प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
11. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।
12. निविदा शर्त मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।
13. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सीडीपीएसएम, आरपीए, जयपुर के नाम से देय होगा।
14. कार्य का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

तरणताल का विवरण	कार्य विवरण	दर जी० एस० टी० सहित	राशि
संस्थान के परिसर में स्थित तरणताल में जो ग्लास मोजेक टाइल्स लगी हुई है, उसका पेच वर्क एवं सम्पूर्ण पूल का ग्रेआउटींग का कार्य	1. तरणताल पुल रिपेयरिंग का ऐरिया 2000 स्क्वायर फिट। 2. तरणताल पुल का ग्रेआउटींग ऐरिया 5000 स्क्वायर फिट।		
	कुल योग		

निविदा दाता के हस्ताक्षर

## खुली निविदा के लिए एवं संविदा की शर्तें

**टिप्पणी :** निविदाओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए ।

1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. (अ) मूल विनिर्माता द्वारा निविदाएँ:-

(i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलिया संबंधित कार्य के मूल विनिर्माता एवम् उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित कार्य के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करवानी होगी।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षण:-

(i) किसी भी कार्य की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्म पात्र मानी जावेगी। जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरण्डम प्राप्त होना चाहिए।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना के अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूपमें एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक,

जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मों द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- (v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबकि प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'बी' के अनुसार शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।
- (vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
- (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेताधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदारी की रसदी उन सब को बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी योजना के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिसचार्ज) होगा।
4. जीएसटी/बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर/आयकर शोधन प्रमाण-पत्र –
- (i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम/बिक्रीकर के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (ii) बोलीदाता सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्राप्त बिक्री कर शोधन प्रमाण-पत्र एवं आय कर चुकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।
5. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
7. बोली में दरें अंकित करते समय समस्त करों को शामिल करें तथा समस्त प्रकार के करों की दरें पृथक से स्पष्ट करें।

8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी प्रभारों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए । स्थानीय प्रयासों कार्य के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण कर सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर की जायेगी।
9. **विधि मान्यता:**— निविदाएँ उनके खोले जाने के दिनांक से RTPP नियम में उल्लेखित अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
10. निविदाता अपनी संविदा को या उनके किसी सारवान भाग की किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े पर नहीं देगा।
11. **निरीक्षण एवं परीक्षण** :- प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विनिर्देशों या अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में कराया जायेगा। अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके अंश को रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये प्रदाय को बोलीदाता द्वारा उन्हें परिषद द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
12. रद्द किये गये कार्य (टाईल्स) को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद विभाग किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
13. विभाग के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता/ठेकेदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय टाईल्स के मरम्मत कार्य का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
14. **परीक्षण प्रभार** :-परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया कार्य विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
15. **नमूने:**—अनुसूची में अंकित वस्तुओं (टाईल्स) की निविदाओं के साथ उचित रूप में से पैक की गयी निविदा वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे नमूने यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाए तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएंगे। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद की जाएगी। यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाना चाहिए तथा निविदाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।
16. प्रत्येक नमूने पर, उस पर या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदाता का नाम मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे। नमूना के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।
18. **रद्द करना** :-
  - (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान या जो कार्य अनुमोदित नहीं किया जायेगा, उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित कार्य अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

- (ii) तरणताल में टाईल मरम्मत का कार्य निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।
- (iii) यदि रद्द किये गये कार्य को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
19. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
20. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी):** निविदा के साथ निर्धारित रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि **सीडीपीएसएम, आर.पी.ए. जयपुर** के पक्ष में बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक देय होगा।
21. **बयाना राशि का समपहरण**—बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जावेगा।
- (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।
  - (2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।
  - (3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।
  - (4) जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार कार्य पूर्ण करने में असफल रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

22. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :-**

- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रूपये 500/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार-पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी।
- (ii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादित प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
- (iv) यदि सफल बोलीदाता उस कार्य के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो तो उस आईटम के लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

(v) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में टाईल मरम्मत के लागत मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर होगी।

(1) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(2) प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी—

(i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक

(ii) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।

(iii) अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस/सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि इन्हें गिरवी खा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य सरेण्डर मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।

(iv) एक समय पर कार्य आदेश के अनुसार मदों को अन्तिम कार्य से एक माह के भीतर तथा यदि सुपर्दगी किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के नाम या गारण्टी की अवधि यदि हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है। प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।

23. **प्रतिभूति राशि का समपहरण** :- प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरण किया जायेगा :-

(क) जब संविदा की किसी शर्त/अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण कार्य को संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(घ) कार्य में असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

24. **सुपर्दगी अवधि** :-

(i) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी को विभाग द्वारा आवश्यकता एवं सुविधानुसार कार्य करने का आदेश दिया जा सकेगा तथा निविदादाता द्वारा आदेशित कार्य को पूर्ण आदेश की तारीख से 30 दिवस की अवधि में करनी होगी।

(ii) यदि क्रेता अधिकारी कार्य नहीं करवाता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

25. **परिसमापित नुकसानी** :-परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको निविदादाता कार्य करने में असफल रहा है:-



- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु चिन्हित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।
- (घ) निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।
- (ङ.) यदि प्रदाय कर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो यह लिखित में आवेदन करेगा न कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- (ट) तरणताल में टाईल मरमम्त का कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो कार्य पूर्ण कर सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।
26. **वसूली :-** तरणताल में टाईल मरमम्त का कार्य में परिनिर्धारित क्षतियाँ कम सप्लाई, टूट फूट या रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। तथा यदि प्रदायक सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निपेक्ष से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
27. तरणताल में टाईल मरमम्त का कार्य की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। पृथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
28. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज :- निविदादाता द्वारा आदेशित तरणताल में टाईल मरमम्त का कार्य निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा कार्य की कोस्ट स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की जा सकेगी।
29. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा।
30. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया जाएगा। जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
31. वित्तीय बिड में दर्शायी गयी दर के आधार पर न्यूनतम दरदाता फर्म की आईटमवार निविदा या एकजाई रूप में स्वीकार योग्य होगी। क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
32. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
33. सफल बिडदाता कार्य को अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet नहीं करेगा।
34. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
35. बिड में अंकित दरें समस्त प्रकार के प्रचलित करों सहित होनी चाहिये। पृथक से कोई प्रभार देय नहीं है।

36. न्यूनतम/सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता का चयन कार्य के आधार पर इकजाई रेट के आधार पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

37. कार्य वाईज दर अंकों एवं शब्दों में ध्यानपूर्वक भरी जावें तथा कुल योग की गणना भी ध्यानपूर्वक की जावें। अंको एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना में अन्तर होने की स्थिति में कार्य की रेट अंको एवं शब्दों में लिखी गई में से जो न्यूनतम होगी उसको अन्तिम माना जावेगा।

38. गारन्टी :-बोलीदाता यह गारन्टी देगा कि कार्य पूर्ण कर सुपुर्दगी दिनांक से 01 वर्ष अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी, तथा इस तथ्य के बावजूद कि टाईल्स मरमम्त का कार्य अनुमोदित कर दिया है, यदि निर्दिष्ट गारन्टी अवधि में टाईल्स मरमम्त का कार्य गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया तो क्रेता अधिकारी ऐसे सम्पूर्ण/आंशिक कार्य को रद्द करने का हकदार होगा। ऐसे रद्द किये गये कार्य की जोखिम बोलीदाता पर होगी तथा कार्य को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता को, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो वह उस कार्य को या उसके किसी भाग को, जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है। बदलना होगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी ?

39. भुगतान :-

(क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

(ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।

40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्तव के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

41. किसी भी निविदा/बिड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

42. राज्य से बाहर की फर्म की दरें न्यूनतम आने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होना अनिवार्य है।

43. ब्लेक लिस्टेड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।

